(205)

न्यायाo श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

Rs. 30/-

R 5292-II/16

बिहारी साहू तनय मथुरा साहू निवासी ग्राम भीर थाना व तह0 नईगढी जिला रीवा म0प्र0 -- निगरानी कर्ता

बनाम

शासन म0प्र0

2- मुन्ना साहू तनय गोकुल साहू

3- गौरी शंकर साहू तनय गोकुल साहू

4- केमला साहू तनय रामावतार साहू

5- द्वारिका साहू तनय वृन्दा साहू ,

सभी निवासीग्राम भीर थाना व तह0 नईगढी जिला रीवा म0प्र0

----- गैर निगरानी कर्ता गण

श्री.. बृजेन्द्र सिंह द्वारा आज दिनांक 30.6.16 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायाo तहसीलदार तह0 नईगढी वृत्त रामपुर जिला रीवा म0प्र0 प्र0 क्र0- 3अ-5/15-016, के आदेश दि0- 25-5-016,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0 सं0 सन 1959 ई0,

मान्यवर ,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है :----

(1) यह कि आदेश अधी0 न्यायाo विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि अधी0 न्यायाo द्वारा हल्का पटवारी भीर के पंचनामा प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित नक्शा के सम्बन्ध मे साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रश्नाधीन आदेश पारित करने मे वैधानिक भूल की गयी है । जो किसी भी स्थिति मे कायम रखे जाने योग्य नही है ।

अ० बिहारी

क्रमशः---

(205)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–5292–II/16 जिला–रीवा

बिहारी साहू/ शासन, मुन्ना साहू वगैरः

(1)	(2)	(3)
19.12.18 –	1. आवेदक की ओर से श्री बृजेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसलीदार, वृत्त रामपुर, तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 03/अ 5/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 25.05.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	